राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या :ई.स. 1529 /जीएस
दिनांक 23 जुलाई, 2002

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या–उ0 प्र0 प्रा0 वि0/ कुसका/ 2002/23888–90 दिनांक 5 जुलाई 2002 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन ग्रेटर नोयडा इस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी,ग्रेटर नोयडा को 1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग (60 सीट) 2.इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (90 सीट) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 1.7.2002 से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए सशर्त अस्थायी सम्बद्धता विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:–

1. प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3271/98–सोलह–प्रा.शि. –1–226/94,दिनांक 30.7.98 में उल्लिखित शर्तो का संस्था द्वारा शत प्रतिशत पालन किया जायेगा।
2. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
3. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी ।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ0प्र0,18–ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक/उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।
4. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली ।
5. सचिव,ग्रेटर नोयडा इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी,ग्रेटर नोयडा
6. कम्प्युटर सेल, राजभवन, लखनऊ ।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव